



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18052024-254228
CG-MH-E-18052024-254228

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 2024/वैशाख 27, 1946

No.359]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 2024/VAISAKHA 27, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 17 मई, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] (संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/180 —बोर्ड, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 68 की उप-धारा (2) के खंड (च) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1) एवं (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 में,-
I. विनियम 19 में, मौजूदा परंतुक और स्पष्टीकरण के बाद, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह और कि कीमत में काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव होने की वजह से और जिस घटना आदि की जानकारी मिले उसकी पुष्टि होने की वजह से कंपनी के इक्विटी शेयरों की कीमत पर जो असर पड़े, उसे, वॉल्यूम वेटिड एवरेज मार्केट प्राइस (मात्रा भारित औसत बाजार कीमत) तय करने के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015] के विनियम 30 के उप-विनियम (11) के तहत निर्धारित किए गए ढाँचे के अनुसार शामिल नहीं किया जा सकेगा।”

II. विनियम 22ख में, उप-विनियम (v) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम (vi) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(vi) कीमत में काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव होने की वजह से और जिस घटना आदि की जानकारी मिले उसकी पुष्टि होने की वजह से कंपनी के इक्विटी शेयरों की कीमत पर जो असर पड़े, उसे, इस विनियम के तहत मूल्य दायरे (प्राइस रेंज) की न्यूनतम कीमत की गणना करने के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015] के विनियम 30 के उप-विनियम (11) के तहत निर्धारित किए गए ढाँचे के अनुसार शामिल नहीं किया जा सकेगा।”

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./128/2024-25]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एन.आर.ओ./जीएन/2018/32, 11 सितम्बर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
 2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 तत्पश्चात्:
 - क) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/26, द्वारा,
 - ख) 19 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जीएन/2019/33, द्वारा,
 - ग) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
 - घ) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/120, द्वारा,
- संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th May, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/180.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 11 and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with clause (f) of sub-section (2) of section 68 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) (Amendment) Regulations, 2024.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, -
 - I. in regulation 19, after the existing proviso and Explanation, the following new proviso shall be inserted, namely,-

“Provided further that the effect on the price of the equity shares of the company due to material price movement and confirmation of reported event or information may be excluded as per the framework specified under sub-regulation (11) of regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for determination of the volume weighted average market price.”
 - II. in regulation 22B, after sub-regulation (v), the following new sub-regulation (vi) shall be inserted, namely,-

“(vi) The effect on the price of the equity shares of the company due to material price movement and confirmation of reported event or information may be excluded as per the framework specified under sub-regulation (11) of regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for calculation of the lower end of the price range under this regulation.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./128/2024-25]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on September 11, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/32.
2. The Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 were subsequently amended on:
 - a) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/26.
 - b) September 19, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) (Second Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRD/GN/2019/33.
 - c) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
 - d) February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/120.